

दिनांक	आज्ञा पत्र
--------	------------

29.11.21

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 29.11.21 को पेश हो। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 29.11.21 को पेश हो।

8.2.22

**पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 1.2.22 को पेश हो।**

10.5.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 10.5.22 को पेश हो। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 10.5.22 को पेश हो।

26.8.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 26.8.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 26.8.22 को पेश हो।

29.11.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 29.11.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 29.11.22 को पेश हो।

30.1.23

पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलाट ने रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि आगामी पेशी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नदर से कम होकर बाद तस्वीर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर(कैम्प इन्डियन)

